Neutral Citation No. – 2013:AHC:15943–DB

आरक्षित दिनांक 17.1.2013

प्रदत्त दिनांक 30.1.2013

वाद:– रिट ए संख्या – 4457 सन् 2005

याचिकाकर्ता:– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निदेशक (कार्मिक)

प्रतिवादी:– भारत संघ और अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:– वी.के. सिंह, जी.के. सिंह

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता:– एस.एस.सी., ए.एस.जी.आई., के.सी. सिन्हा, के.सी. श्रीवास्तव, के.एस. सिंह, कृष्णा अग्रवाल, एस.एफ.ए. नकवी, एस.के. वर्मा

Translated Version. Not For Legal Use

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांता महापात्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल द्वारा प्रदत्त)

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपा शंकर सिंह को सुना गया।

वर्तमान रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद द्वारा मूल आवेदन संख्या 1201/1996 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.2.2004 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 3 के चयन को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया गया था।

वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 ने जून, 1994 के महीने में जारी विज्ञापन के अनुसरण में जैव प्रौद्योगिकी (पशु विज्ञान) सहित विभिन्न विषयों में वैज्ञानिक–I के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या 3 ने ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया और तहसीलदार का दिनांक 15.3.1996 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी संख्या 3 अजय कुमार की पत्नी है जो ओबीसी से संबंधित है और इसके अतिरिक्त वह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.9.1993 से संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। लिखित परीक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अक्टूबर, 1994 में आयोजित की गई थी। साक्षात्कार के बाद प्रतिवादी संख्या 3 का चयन किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा 29 सितंबर, 1995 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि वह डॉ. शंकर लाल की पुत्री होने के नाते, जो कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, अपवर्जन के नियम (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.9.1993 से संलग्न अनुसूची के कॉलम 3) के अंतर्गत आती है और उसे ओबीसी श्रेणी का लाभ देते हुए चयनित नहीं किया जा सकता था। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि जब उसने आवेदन किया और पद के लिए चयनित हुई, तब वह विवाहित थी और उसका पति जो रोटोमैक इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर में इंजीनियर (मार्केटिंग) के पद पर कार्यरत था, वह 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत नहीं आता था। तहसीलदार द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र उसकी जाति और उसके पति की जाति पर आधारित है, जिसका उसके पिता से कोई संबंध नहीं था। उसने आगे कहा कि चूंकि उसके पति प्रथम श्रेणी के पद पर नहीं है और शादी के बाद वह अपने माता–पिता पर निर्भर नहीं है, इसलिए उसे 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के कॉलम 3 के तहत ओबीसी श्रेणी के तहत 'क्रीमी लेयर' की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात, दिनांक 4.10.2006 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया कि वह प्रथम श्रेणी अधिकारी की पुत्री होने के कारण दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के कॉलम 3 के मद्देनजर ओबीसी श्रेणी के तहत सेवा में आरक्षण के लाभ की हकदार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 ने मूल आवेदन संख्या 1201/1996 दायर किया, जिसमें उसकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश दिनांक 4.10.2006 को चुनौती दी गई। आवेदन में प्रतिवादी संख्या 3 ने भी यही रुख अपनाया। न्यायाधिकरण ने आवेदन स्वीकार कर लिया और आदेश दिनांक 4.10.2006 को रद्द कर दिया।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के कॉलम 3 में दिए गए अपवर्जन के नियम को लागू करने में तथा यह मानने में गलती की है कि यद्यपि एक पुत्री जिसके माता–पिता प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, विवाह से पूर्व अपवर्जन खंड के अंतर्गत आती है, लेकिन विवाह के बाद उसके अपने प्राकृतिक माता–पिता के साथ उसका कानूनी संबंध समाप्त हो जाता है। और इसलिए, अगर वह शादी के बाद नौकरी के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन करती है, तो वह बहिष्करण खंड के अंतर्गत नहीं आएगी, भले ही उसका पति क्लास–। अधिकारी हो। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 के अपने मामले के अनुसार कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किए गए उत्तर में, उसका पति क्लास–। अधिकारी नहीं था और 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत नहीं आता है। दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन में संलग्न अनुसूची के खंड–II का परंतुक, जो 'सेवा श्रेणी' पर लागू होता है, इसलिए उसके मामले में लागू नहीं होता। इसके अलावा, इस स्वीकृत तथ्य के मद्देनजर कि

Translated Version: Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रथम श्रेणी के अधिकारी की पुत्री है, वह 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आएगी और बहिष्करण का नियम लागू होगा।

उन्होंने इस न्यायालय के **2011 (4) ईएससी 2340 यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम राजेश कुमार यादव एवं अन्य** मामले में दिए गए खंडपीठ के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें इंद्रा साहनी एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> ".....'क्रीमी लेयर' शब्द या बहिष्करण नियम का वास्तविक अनुप्रयोग क्या होगा। जब कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की विशेषताओं से मुक्त हो जाता है और उसे रोजगार मिल जाता है या वह उच्च स्तर के किसी व्यापार/पेशे में लग जाता है, जैसा कि हमने नीचे वर्गीकृत किया है, तो उस स्तर पर उसे सामान्यतः अपने लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति खुली प्रतियोगिता के आधार पर या आरक्षण के आधार पर श्रेणी–I अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो उसे इस आधार पर बाहर करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि वह 'क्रीमी लेयर' का हिस्सा है। लेकिन चूंकि वह खुद सामाजिक रूप से उन्नत श्रेणी में आ गया है, इसलिए वह अपने बच्चों को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के स्तर से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक साधन, उपकरण और अवसर प्रदान करने की स्थिति में होगा। इस प्रकार, बहिष्करण के नियम को लागू करने का प्रश्न केवल उसकी संतानों के मामले में ही उठेगा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 8.9.1993 का कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ, जो वर्तमान मामले में भी विचारणीय विषय है। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन में संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में खंड II ए के प्रावधान (बी) पर अवलम्ब लिया । इसे नीचे उद्धृत किया गया है।

> **II. सेवा श्रेणी**
>
> **क. अखिल भारतीय केंद्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप ए/श्रेणी–I अधिकारी (सीधी भर्ती)**
>
> परंतु बहिष्करण का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:
>
> (क) .....
>
> (ख) ओबीसी श्रेणी की एक महिला ने प्रथम श्रेणी के अधिकारी से विवाह किया है, और वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती है।"

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

उक्त परंतुक पर अवलम्ब लेते हुए प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि परंतुक मुख्य खंड अर्थात खंड II 'सेवा श्रेणी' ए से जुड़ी है जो ग्रुप 'ए' और क्लास–I अधिकारियों (सीधी भर्ती) के पुत्र/पुत्रियों पर लागू होती है और इसलिए यह मुख्य खंड का अपवाद है। इस आधार पर उन्होंने दलील दी कि यदि कोई महिला प्रथम श्रेणी के अधिकारी की पुत्री भी है, तो विवाह होते ही उसकी स्थिति बदल जाती है और इसी उद्देश्य से परंतुक 'ख' को 'सेवा श्रेणी' से संबंधित अनुसूची के स्तंभ 3 में खंड 2 ए के अपवाद के रूप में शामिल किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 को विवाह के बाद ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत नौकरी के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया। पिछड़े वर्ग के नागरिकों के आरक्षण के संबंध में कानूनी स्थिति का अंतिम रूप से **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य 1992 सप (13) एससीसी 217** में निस्तारण किया गया। नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उत्तर दिए गए कई प्रश्नों में से कुछ प्रश्न इस प्रकार थे:–

(i) "नागरिकों के पिछड़ेपन" की पहचान

(ii) क्या अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए।

(iii) 'साधन–परीक्षण' और 'क्रीमी लेयर' – उन व्यक्तियों (पिछड़ेपन से) को बाहर करने के उद्देश्य से जो सामाजिक रूप से और साथ ही आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक उन्नत हैं।

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 'क्रीमी लेयर' के बहिष्कार पर विचार किया और भारत सरकार को बहिष्कार का आधार निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया – चाहे आय के आधार पर, जोत की सीमा या अन्यथा और कहा कि इस तरह के विनिर्देशन पर, बहिष्कार नियम के दायरे में आने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ('नागरिकों के पिछड़े वर्ग' अभिव्यक्ति द्वारा कवर) के सदस्य नहीं रह जाएंगे।

'साधन–परीक्षण' या 'क्रीमी लेयर' के प्रश्न का उत्तर यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर रखा जा सकता है और रखा जाना चाहिए।

पुनः **रिट याचिका संख्या (सी) संख्या 930/1990 (इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य)** में 'क्रीमी लेयर' की पहचान से संबंधित प्रश्न विचारार्थ आया। न्यायालय के समक्ष जो मुद्दे थे उनमें से एक निम्नलिखित है:–

"अनुच्छेद 14 और 16 के संदर्भ में "क्रीमी लेयर" के संबंध में **इंद्रा साहनी (1992 सप (3) एससीसी 217: 1992 एससीसी (एल एंड एस) सप 1: (1992 22 एटीसी 385)** में क्या कानून घोषित किया गया है और क्या निर्देश दिए गए हैं? "

Translated Version - Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

उक्त मुद्दे का उत्तर देते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1992 में नौ न्यायाधीशों की पीठ के गठन वाले न्यायाधीशों (छह) द्वारा की गई चर्चाओं और घोषणाओं का सारांश प्रस्तुत किया है, जो नीचे उद्धृत हैं:–

"(i) न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के अनुसार, "क्रीमी लेयर का बहिष्कार सामाजिक उन्नति के आधार पर होना चाहिए न कि केवल आर्थिक हित के आधार पर। किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति की सीमा को सामाजिक उन्नति का एक पैमाना माना जाना चाहिए और उस आधार पर किसी जाति, समुदाय या व्यावसायिक समूह के भीतर "क्रीमी लेयर" को बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वास्तविक पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किया जा सके।

क्रीमी लेयर को बाहर रखा जा सकता है और उसे बाहर रखा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाना चाहिए और "आर्थिक मानदंड" को सामाजिक उन्नति के संकेत या माप के रूप में अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए।"

(ii) न्यायमूर्ति थॉमन के अनुसार, "यदि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्य स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, तो संविधान उन्हें आरक्षण का संरक्षण प्रदान नहीं करता है। यदि क्रीमी लेयर ने एक निश्चित पूर्व निर्धारित आर्थिक स्तर प्राप्त कर लिया है तो उसे "छांटकर" बाहर कर दिया जाना चाहिए।

(iii) न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के अनुसार, पिछड़े वर्ग का "समृद्ध" वर्ग। तुलनात्मक रूप से "पिछड़े वर्ग के ऐसे (समृद्ध) व्यक्ति – भले ही उन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त न की हो – सामाजिक रूप से भेदभाव किए बिना समाज में आगे बढ़ने में सक्षम हैं।"

(iv) न्यायमूर्ति सहाय के अनुसार, "समुदाय या समूह के वे व्यक्ति जिन्होंने "सामाजिक स्थिति" या "आर्थिक समृद्धि" प्राप्त कर ली है, वे आरक्षण का दावा करने के हकदार नहीं हैं। चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने माता–पिता की वार्षिक आय का खुलासा करना होगा, यदि यह एक स्तर से अधिक है, तो उन्हें पिछड़े वर्ग का हिस्सा होने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीमा क्या होगी, इसका निर्णय राज्य को करना होगा। आय के अलावा, यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रखा जाना चाहिए जिन्होंने समाज में कोई विशेष दर्जा हासिल कर लिया है, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक या यदि उनके माता–पिता उच्च सेवाओं में हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ लेने से रोका जाना चाहिए। "क्रीमी लेयर" को बाहर करने से सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हटाने के लिए कोई भी विधायी या कार्यकारी कार्रवाई संवैधानिक रूप से अमान्य नहीं हो सकती।"

Translated Version - Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(v) न्यायमूर्ति सावंत के अनुसार, "सामाजिक उन्नति का आकलन पिछड़े वर्गों के सदस्यों या वर्गों द्वारा प्राप्त की गई अगड़ी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता" से किया जाना चाहिए। इसलिए कानूनी तौर पर, जो व्यक्ति या वर्ग उस स्तर पर पहुंच गए हैं, वे अब पिछड़े वर्ग का हिस्सा कहलाने के हकदार नहीं हैं, चाहे उनका मूल जन्मचिह्न कुछ भी हो। इन "अग्रिमों" को "पिछड़ों" से अलग करना "अनिवार्य" है क्योंकि ये लोग रुबिकॉन को पार कर चुके हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि "प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता" का क्या अर्थ है। विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी सेवा से तृतीय श्रेणी में चला जाता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह सामाजिक उन्नति के ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन यदि व्यक्ति ने "उच्च स्तर के पदों" या कम से कम "उन स्तरों के निकट" के लिए सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है, तो वह ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है।"

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आगे कहा कि आठ में से छह न्यायाधीशों, अर्थात न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी (स्वयं और तीन अन्य के लिए), न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति सहाय (अर्थात नौ में से छह विद्वान न्यायाधीशों) के निर्णयों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति सामाजिक उन्नति और आर्थिक स्थिति के उच्चतर स्तर पर पहुंच गए हैं और इसलिए कानून के अनुसार, ऐसे व्यक्ति पिछड़े माने जाने के हकदार नहीं हैं। उन्हें "बिना किसी और जांच के" 'क्रीमी लेयर' माना जाएगा।"

नौ न्यायाधीशों की पीठ **इंद्रा साहनी (उपरोक्त)** के अनुसार भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप 8.9.1993 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि बहिष्कार का नियम निम्नलिखित बच्चों पर लागू होगा:–

(क) संवैधानिक पदों के धारक।

(ख) सेवा श्रेणी

(ग) व्यावसायिक श्रेणी

(घ) संपत्ति के मालिक

सेवा श्रेणी में वे बच्चे शामिल हैं:–

(ए) माता–पिता, अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह ए/श्रेणी । के अधिकारी, जहां माता–पिता दोनों या उनमें से एक वर्ग । के अधिकारी हैं, कुछ शर्तों के अधीन;

(बी) केंद्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह बी/श्रेणी ।। के अधिकारियों के बच्चे, कुछ शर्तों के अधीन;

Translated Version, Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(सी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों के बच्चे और निजी रोजगार के तहत तुलनीय पदों और पदों पर;

(डी) सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के बच्चे।

राजेश कुमार यादव (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय में, **इंद्रा साहनी** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर अवलम्ब लेते हुए, यह अवधारित किया गया कि याचिकाकर्ता, जिसके पिता प्रथम श्रेणी के अधिकारी बन गए थे, को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं बताने वाला जाति प्रमाण पत्र, दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान के विपरीत है और ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आरक्षण के लाभ का दावा स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'क्रीमी लेयर' से संबंधित कानून और दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि परंतुक (बी) कार्यालय ज्ञापन के खंड ॥–ए, कॉलम 3 का परंतुक है जो भारतीय केंद्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप ए/श्रेणी । अधिकारियों की 'सेवा श्रेणी' ('सीधी भर्ती') से संबंधित है। उक्त प्रावधान की एकमात्र व्याख्या यह की जा सकती है कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित कोई महिला, यदि अन्यथा, खंड ॥–'ए' के अंतर्गत 'क्रीमी लेयर' से संबंधित नहीं है, ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत स्वयं के लिए नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है, भले ही उसकी शादी प्रथम श्रेणी के अधिकारी से हुई हो। न्यायालय ने इस प्रावधान को शामिल करने के पीछे एकमात्र कारण यह पाया कि 'केवल इसलिए कि किसी महिला का पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी है, उसे आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है और वह 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत नहीं आती है, यदि वह मूल रूप से क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।

तथापि, उक्त प्रावधान किसी महिला के मामले में लागू नहीं होगा, अर्थात् ऐसी महिला जिसके माता–पिता प्रथम श्रेणी के अधिकारी हों, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह समाज के सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग से संबंधित होगी और बहिष्करण का नियम लागू होगा।

सम्पूर्ण योजना और पिछड़े वर्ग से 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 3 के खण्ड ॥ 'ए' के परन्तुक (बी) की व्याख्या की जाती है, तो यह बेतुकी बात होगी, जिसका सरकार द्वारा दिनांक 8.9.1993 को कार्यालय ज्ञापन जारी करते समय कभी भी इरादा नहीं किया जा सकता था।

क़ानून की व्याख्या का यह सुस्थापित नियम है कि किसी अधिनियम में प्रयोग किए गए किसी भी शब्द को उस संदर्भ से अलग नहीं पढ़ा जा सकता जिसमें उसका प्रयोग किया गया है। यदि कोई वैधानिक प्रावधान एक से अधिक व्याख्याओं के लिए स्वतंत्र है, तो न्यायालय को वह व्याख्या चुननी होगी जो विधानमंडल के वास्तविक इरादे का प्रतिनिधित्व करती हो। किसी प्रावधान में प्रयुक्त शब्द की उचित व्याख्या करने के लिए न्यायालय को अधिनियम की योजना तथा उस संदर्भ की जांच करनी चाहिए जिसमें उसका प्रयोग किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version: Not For Legal Use

एम. पेन्टिया बनाम वीरमल्लप्पा मुदला, एआईआर 1961 एससी 1007 के मामले में यह अवधारित किया गया कि न्यायालय उस व्याख्या को अस्वीकार कर देगा जो विधानमंडल के स्पष्ट इरादे को पराजित करेगा, भले ही प्रयुक्त भाषा में कुछ अशुद्धि हो।

सी.डब्ल्यू.एस. (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, जे.टी. 1994 (3) एस.सी. 116 के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जहां किसी अधिनियम में प्रयुक्त भाषा की शाब्दिक व्याख्या से कोई बेतुका या अनपेक्षित परिणाम निकलता है, वहां संसद की मंशा के अनुरूप और बेतुकेपन से बचने के लिए कानून की भाषा को संशोधित किया जा सकता है।

उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, जो कि प्रथम श्रेणी अधिकारी की पुत्री है, दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन में संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में खण्ड ॥ ए (बी) के प्रावधानों के अनुसार बहिष्कृत है, क्योंकि उसने शिक्षा और अवसरों की सभी सुविधाएं प्राप्त की हैं और सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग की स्थिति तक पहुंच गई है। जहां तक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.9.1993 के कॉलम 3 में दिए गए अपवर्जन के नियम के लागू होने का संबंध है, उसके वर्ग ॥ या वर्ग । अधिकारी से विवाह से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वस्तुतः दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन में संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में प्रावधान (बी) खंड ॥.A वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

परिणामस्वरूप, हम न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.2.2004 को अपास्त करते हैं, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति को रद्द करने वाले दिनांक 4.10.1996 के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 4.8.1996 को दिए गए आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा गया तथा उसकी पुष्टि की गई।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

आदेश दिनांकः– 30.1.2013

पी.पी.

Translated Version: Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।